न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—36/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/36

अपीलाण्ट :—

1. शारदा पुत्री श्री तेजा,

2. शान्ता पुत्री तेज़ा, अपीलांट कौम कुम्हार, निवासी— सांचौर, जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1.नागजी पुत्र नवाजी, जाति—कुम्हार, निवासी— चितलवाना, हाल केरिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

2. सौभाग पुत्री तेजा पत्नी श्री नागजी, जाति—कुम्हार, निवासी— चितलवाना, हाल केरिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

3. सरपंच ग्राम पंचायत केरिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (आदेश अन्तर्गत धारा 135 (2) एल.आर एक्ट) विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2018 न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख चितलवाना, जिला जालोर (राज.)

उपस्थिति :—
1. श्री शरीफ काजी, श्री सदामकाजी विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 30/9/24

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार भू. अभिलेख, चितलवाना के प्रकरण संख्या में निर्णय दिनांक 30.07.2018 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निर्णय दिनांक 30.07.2018 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक वसीयत कानूनन तरीके से साबित नहीं हो जाती उसका लाभ किसी व्यक्ति को नही दिया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में किसी दीवानी न्यायालय व सक्षम न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत को साबित नहीं किया गया। अतः निर्णय विधि विरूद्ध हैं।

प्रकरण हाजा में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इस संबंध में वकील अतः निर्णय निरस्त योग्य है।

वसीयतनामें को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या–1 पर है व वसीयत समरी प्रोसिडिंग में रेवेन्यु न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती। अतः निर्णय विधि विरूद्ध है।

माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा यह विधि का सिद्धान्त पूर्ण तरह सैटल किया जा चुका है कि जब तक वसीयत को घोषणा प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध न किया जाता व अपना हक घोषित नहीं किया जाता ऐसी वसीयत आधार पर म्युटेशन भरना विधि विरूद्ध है।

अपीलांट मृतक तेजा जी की जायंदा वारिसान होने के कारण उनके पक्ष में म्युटेशन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरातं अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा वसीयत के आधार पर कार्यवाही फरमाई है जो रेवेन्यु न्यायालयों के समक्ष मैनटेनेबल नहीं है।

यह है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति को वसीयत करने का कोई अधिकार नही है। इस संबंध में माननीय न्यायालय का आरआरटी 2022(2) पेज सं. 1193 पेश का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

खसरा संख्या 3124/5 व 3114/10 के खातेदार तेजा पुत्र नगा थे। इनकी मृत्यु के बाद तीन पुत्रीया जिवित होते हुए भी पत्नि गीगी पत्नि तेजा के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम धारा 8 के अनुसार अन्य वारिस होने से नामान्तरण शुन्य है। वकील अपीलाण्ट ने इस संबंध में दृष्टांत आर.आर.टी 2013(2) पेज सं. 766 पेश किया। इस कारण गीगी की वसीयत फर्जी व शुन्य है । गीगी को अधिकार ही पैदा नही हुए। नामांतरण की कार्यवाही नही कर रेफरेन्स किया जाना चाहिये था। उपरोक्त खसरा का ना.करण संख्या 2975 गीगी के नाम स्वीकृत हुआ। नये खसरा सं. 1271 व 1272 कायम हुए । भूमि पैतृक होना साबित इस पर तहसीलदार ने निर्णय नही किया, गवाहान पेश नही, जिरह का अवसर नही दिया । वसीयत से अधिकार वसीयत प्राप्तकर्ता को सिविल कोर्ट से तय करवाना चाहिये। राजस्व न्यायालय को अधिकार नही है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016(2) पेज सं. 1099, आरआरटी 2015(2) 1434एवं आरआरटी 2014(1) पेंज सं. 196 पेश किये। वसीयती गवाहान पेश करना आज्ञापक है।

अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 30.07.20 धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख चितलवाना द्वारा पारित फरमाया गया है को अपास्त फरमाया जावे व अपीलांट तो तेजा जी की जायन्दा उत्तराधिकारी है उनके पक्ष में म्युटेशन फरमाने का

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

आदेश फरमावें। अन्य कोई आदेश अपीलांट के पक्ष में तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय को उचित प्रतित हो को भी फरमाया जावें।

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

रेस्पोडेण्ट नागजी तेजा पुत्र नगा का जमाई है। तेजाजी के कोई जायन्दा पुत्र नही थे। इसलिए रेस्पो. तेजाजी विश्वास पात्र जमाई होने से तेजाजी ने रेस्पो. स. 1 को अपने साथ ही रहने को कहा क्योंकि तेजाजी की पुत्री शोभाग की शादी नागाजी के साथ हुई थी। सभी पुत्रिया ससुराल चले जाने से तेजराम ने अपनी वृद्धावस्था के सहयोग हेतु नागजी को साथ रहने हेतु बुला लिया। नागजी विगत 30 वर्षों से ज्यादा समय से तेजाराम के परिवार के साथ पुत्र की गरज पुरी करने के लिए तथा तेजाराम ने अपने जीवनकाल में ही नागजी को अपनी चल व अचल सम्पति भूमि इत्यादि सुपुर्द कर ही तथा पुत्रिया जिसमें शारदा व शान्ता ने स्वीकृति मौखिक प्रदान की कि हम ससूराल चली गई है व विगत कई वर्षों से ससूराल में ही रह रही है तथा ससुराल में हक प्राप्त कर लेने से तेजाजी की सम्पति में हक नहीं चाहा। तेजाजी आज से 25 वर्ष पूर्व फौत हो गये तब पुत्रियों ने हक नहीं लिया व नागजी की सासू के नाम नामांतकरण करवाया जो 25 साल तक खातेदारी नागजी की सासू के नाम नामांतकरण रहा इस लम्बी अवधि में नागजी विगत 30 वर्षों से तेजाजी के साथ व उसके परिवार के साथ निवास कर रहा है। तेजाजी के फौत होने के बाद नागजी की सासू ने बैंक में खाता खुलवाया उसमें भी नागजी को नोमिनी बनाया व अन्यंत्र हर जगह अपना उत्तराधिकारी बताया है। यहाँ तक कि अपनी सम्पूर्ण भूमि के संबंध में नागजी के पक्ष में वसीयतनामा लिखत करवाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। परिवार कार्ड में भी नागजी का नाम दर्ज है। तेजाजी के ग्राम केरिया में ख. न. 1271 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.न. 1272 रकबा 4.82 हैक्टर जुमले रकबा 4. 85 हैक्टर भूमि तेजाजी की स्वअर्जित भूमि थी यह भूमि पुस्तेनी भूमि नहीं है। जिसके संबंध में गीगी तेजाजी की पत्नि ने दिनांक 28.6.1996 को नागजी के पक्ष में चल व अचल सम्पति की वसीयत लिखकर सम्पूर्ण आराजी जरिये वसीयत नारगजी को सुपुर्द की है जो उसे सुपुर्द का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि प्रधान परिवार में परिवार की सम्पति पुरुष के नाम दर्ज होता है। स्त्री उसका सम्मान हकधारी होते हुए उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होता स्त्री का हक साईलेन्ट होता है। जिसकी वह आवश्यकता पड़ने पर घोषणा करवा सकती है। गीगी ने इस भूमि को नागजी को सुपुर्द कर वसीयत पंजीबद करवाया है। जिसकी बही सं. 3 जिल्द सं. 2 सफा नम्बर 11/96 दिनांक 28.06.1996 को पंजीबद हुआ जिसके आधार पर नागजी उक्त तेजाजी व उसके बाद गिगी के नाम दर्ज हुई भूमि का मालिक बन चुका हूँ। गीगी के फौत होने पर नागजी ने हल्का पटवारी को व ग्राम पंचायत को नागजी के पक्ष में करवाये गये वसियत नामे का पेश किया जिसे रेकर्ड पर नहीं लेकर गलत ढंग से उक्त नामांतकरण स्वीकृत कर दिया है। जिसमें ग्राम पंचायत ने भारी कानूनी भूल की है। इसलिए नामांतकरण स. 740 ग्राम केरिया निरस्त कर गीगी के स्थान पर नागजी नाम जरिये वसीयत नामांतकरण करवाने का अधिकारी है। अतः नामांतकरण 740 ग्राम केरिया निरस्त कर वसीयतनामा के आधार पर मेरे रेस्पोडेण्ट नाम सम्पूर्ण भूमि का नामांतकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि विवादग्रस्त आराजी तेजा पुत्र नगा के नाम से आवंटन हुई थी । तेजा की मृत्यु के बाद गीगी पत्नी तेजा

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

के नाम नामान्तरकरण भरा गया । गीगी पत्नी तेजा की मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत केरिया द्वारा म्युटेशन संख्या 740 के द्वारा तीनो पुत्रीयो शारदा,शोभाग,शान्ता पुत्रीया तेजा के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जिसमें वसीयत का कोई जिक नही है। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट न. 1 नागजी (जमाई) ने वसीयत के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना में उक्त नामान्तरणकरण के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने 30.11.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 740 ग्राम केरिया निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि सभी पक्षो की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के निर्णय दिनांक 30.11.2017 की अनुपालना में तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.07.2018 द्वारा आदेश पारित किया कि हल्का पटवारी केरिया को आदेशित किया जाता है कि नामान्तरणकरण संख्या 740 ग्राम केरिया निरस्त किया जाता है । इस वसीयत को अंतिम वसीयत मानी जाती है । अतः वसीयत के अनुसार नामान्तरणकरण की कार्यववाही कर पालना रिपोर्ट पेश करे। उक्त आदेश दिनांक 30.07.2018 की अनुपालना में नामान्तरणकरण संख्या 1104 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 नागजी के पक्ष में दिनांक 07.09.2018 को तस्दीक किया जा चुका है। तहसीलदार चितलवाना के उक्त आदेश दिनांक 30.07.2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत हुई ।

7. प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचन करने पर पाया गया की तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 30.07.18 पारित करने से पूर्व यह देखा जाना था कि यह सम्पति पैतृक सम्पति है या नही क्योकि विधिक दृष्टि से पैतृक सम्पति में पुत्र तथा पुत्रीयों सभी का जन्मजात बराबर हक हिस्सा बनता है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार उक्त वसीयत को साबित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68(पुराना तत्समय प्रभावी अधिनियम) के अनुसार वसीयत के गवाहन के भी बयान दर्ज नही किये गये है। क्योंकि वसीयत की प्रमाणिकता गवाह ही साबित कर सकता है। इसप्रकार 68(1) ऐवीडेन्स एक्ट के प्रावधान की पालना तहसीलदार द्वारा नही की गई । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित सभी पक्षकारो एवं विधिक वारिसो को भी विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 3/2023 दिनांक 05.03.2024एवं न्यायालय तहसीलदार, चितलवाना के प्र.स. 26/2014 निर्णय दिनांक 30.11.2017 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार भू.अ. चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट के पक्ष में

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

वसीयत को प्रमाणित करवाने हेतु गवाहो को तलब कर बयान लिये जावे। एवं सम्पति के पैतृक होने की स्थिति में सभी विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण पुनः पारित करे। ना.करण संख्या 740 को खारीज किया जाता है। एव पश्चातवर्ती ना.करण सं. 1104 स्वतः ही प्रभावहीन होने से खारीज होने योग्य है। तथा वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया जाता है कि समस्त राजस्व रिकोर्ड एवं सभी तथ्यों पर समुचित विचार कर नियमो के आलोक में पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति की पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9. यह निर्णय आज दिनांक .....30/9/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)